

प्रारूप - एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
पत्र क्र./ 11.037/भू-अर्जन/2024

दिनांक 05-08-2024

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	नवापारा	1.863 हे.	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05/08/24 समय बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन नवापारा में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 20 परिवार
- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 20 परिवार
- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? : हाँ
- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? : हाँ
- परियोजना की कुल लागत : रु. 199.20 करोड़
- परियोजना से होने वाले लाभ : मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत जुड़ जावेंगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा।
- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय व्यय का प्रावधान किया गया है।
- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति का कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. कोरबा संभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सह. भू-अर्जन अधिकारी
कटघोरा

(अर्जित वसंत)
कलेक्टर
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग